

## vke vkneh chek ; kst uk

mnns ; % आम आदमी बीमा योजना केवल ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिये निःशुल्क जीवन बीमा योजना शासन द्वारा लागू की गई है, जिसका उद्देश्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति व उसके परिवार को आर्थिक सहायता के माध्यम से राहत पहुंचाना है।  
वाला सदस्य होना चाहिये।

iko/kku %

- सामान्य मृत्यु होने पर रूपये 30000/- (अंकन रू0 तीस हजार मात्र)
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा स्थायी रूप से पूर्ण अपंगता होने पर रू0 75000/- (अंकन रू0 पछत्तर हजार मात्र)
- दुर्घटना में एक आंख या एक हाथ या एक पांव अक्षम होने पर रू0 37500/- (अंकन रू0 सैतीस हजार पांच सौ मात्र)
- शिक्षावृत्ति योजना के तहत बीमित सदस्यों के बच्चों के लिए एक मुश्त एड-आन शिक्षा वृत्ति का लाभ दिया जावेगा। इसमें केवल 9 वी से 12 वी कक्षा के अध्ययनरत केवल 02 विद्यार्थी प्रति परिवार को प्रतिमाह रू0 100/- की शिक्षावृत्ति दी जावेगी।

dku ykHk ys l drk gS %

- केवल भूमिहीन ग्रामीण मजदूर जो योजनांतर्गत बीमित सदस्य।
- हितग्राही की उम्र 18 से 59 वर्ष तक होगी।
- योजनांतर्गत बीमित सदस्य ग्रामीण परिवार का मुखिया अथवा परिवार में कार्य करते हुए आय कमाने वाला।

; kst uk dk ykHk dS s ya %

- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से संपर्क करें।
- कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से आवेदन प्रारूप प्राप्त करें।
- बीमित व्यक्ति की मृत्यु की दशा में निर्धारित आवेदन पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, या पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर होने का प्रमाण पत्र, पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट की प्रति, तथा पुलिस फाइनल रिपोर्ट की प्रति स्थाई अपंगता की दशा में मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र भी संलग्न कर अपने क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को प्रस्तुत करना होगा।

mi l pkyd

l kekftd

U; k;

ft vk fM MkS h